राष्ट्रीय लोक अदालत 2023
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा
बईजलास राजेश डागा (आर.ए.एस)

2/23

प्रकरण संख्याः—84/22

निर्णय दिनांक 11.02.2023

बउनवान

1. रामकल्याण दत्तक पुत्र घासीलाल आयु 42 वर्ष जाति माली निवासी ग्राम उरना तहसील कनवास जिला कोटा राज0

वादी

बनाम

1. नारायण पुत्र खेमा जाति गुर्जर निवासी खोद्या खेडी तहसील कनवास जिला कोटा राज0 मृतक जरिये कायम मुकाम
   1/1 दांखा बाई पुत्री नारायण पत्नी देवलाल जाति गुर्जर निवासी मकान नं0 1225 मोहन किराना स्टोर की गली किशोरपुरा कोटा जिला कोटा राज0।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, कनवास जिला कोटा राज0।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :—
वादी की ओर से एडवोकेट श्री विनोद गौत्तम

वाद अन्तर्गत धारा 88,89, आर0टी0एक्ट बाबत् इन्द्राज
निर्णय

वादी के द्वारा अन्तर्गत धारा 88 89 आरटीएक्ट जये एडवोकेट पेश कर निवेदन किया कि वादी के एकल खातें एवं कब्जें काश्त की आराजी ग्राम मोहनपुरा पटवार हल्का खजूरना तहसील कनवास जिला कोटा राज0 की खाता संख्या नई 14 की खसरा नं0 110 की रकबा 0.23 है0, आराजी स्थित है। जो घांसीलाल जी से उतराधिकार से प्राप्त हुई है।
उक्त आराजी कालान्तर से घांसीलाल जी व उसके बाद वादी काबिज काश्त चलें आ रहें हैं। लेकिन उक्त आराजी में उप कृषक नारायण पुत्र खेमा जाति गुर्जर निवासी खोदियाखेडी दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजी वादी के पिता घांसीलाल जी द्वारा उनके जीवन काल में मुनाफा काश्त पर दी जाती रही थीं जिसके कारण राज्य सरकार द्वारा सहवन से उक्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में नारायण पुत्र खेमा जाति गुर्जर निवासी खोद्याखेडी तहसील कनवास का नाम उप कृषक दर्ज रिकॉर्ड विवाद ग्रस्त आराजी में नारायण पुत्र खेमा जाति गुर्जर निवासी खोद्याखेडी तहसील कनवास की मृत्यु हो जाने से जर्ये कायम मुकाम प्रतिवादी क्रम 1 के स्थान पर प्रतिवादी क्रम 1/1 को बतौर कायम मुकाम रिकार्ड पर लिया जावें तथा राजस्व रिकार्ड में दर्ज उप कृषक को न्यायहित में दुरस्त किया जाना आवश्यक है।
उक्त वर्जित वादग्रस्त आराजी का वादी व हैसियत मालिक उपयोग उपभोग व बदस्तुर करता चला आ रहा हैं किन्तु राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी में उप कृषक शब्द अंकित होने से वाद ग्रस्त आराजी में कृषि विकास कार्य करने बेंक ऋण प्राप्त करनें एवं अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में परेशानियों का सामना करना पड़ा है।
गत सप्ताह वादी सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा आवां में उक्त आराजी पर कृषि गहन प्राप्त करने गया तो बैंक अधिकारियों ने जमाबंदी में अंकित उप कृषक शब्द अंकित होने से ऋण

उपखण्ड अधिकारी कनवास
जिला कोटा

Scanned with ACE Scanner

स्वीकृत करने से मना कर दिया। तथा न्यायालय में कार्यवाही करके खाता दुरूस्त करवाने की राय व्यक्त करने पर वाद कारण उत्पन्न हुआ।
राज्य सरकार को भूमि धारी होने से जर्ये तहसीलदार कनवास को प्रतिवादी की हैं हैसियत से पक्षकार बनाया गया है।
वाद ग्रस्त आराजी ग्राम मोहनपुरा पटवार हल्का मण्डल खजूरना तहसील कनवास जिला कोटा
उक्त वाद इन्द्रादुरूस्ती हेतु वाद पत्र का मूल्यांकन 200 रूपए नियत किया जाकर वाद पत्र उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य अविलम्ब पेश हैं।
अतः वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन है कि माल ग्राम मोहनपुरा पटवार हल्का खजूरना तहसील कनवास जिला कोटा राजस्थान के खसरा नं0 110 की रकबा 0.23 है0 आराजी में दर्ज उप कृषक नारायण हटायें जाने तथा वादी को पूर्ण रूप से खातेदार दर्ज किया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण की तलवी जर्ये सम्मन की गई पत्रावली पर प्रतिवादी कम 2 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त जो शामिल पत्रावली किये प्रतिवादी कम 1 के रजिस्टर एडी के सम्मन जारी किए। पत्रावली आज लोक अदालत में पेश हुई वादी मय अधिवक्ता उपस्थित पत्रावली पर प्रतिवादी 1 की ओर से वकालतन नामा एवं जवाब दावा मय राजीनामा पेश किया गया राजीनामा एवं जवाब दावा इकबालिया का अवलोकन यिका वादी द्वारा प्रतिवादी द्वारा उपस्थित होकर राजीनामा तस्दीक किया जाकर दावा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया गया वाद पत्र का अवलोकन किया गया जवाब सरकार बन्द किया गया पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा तस्दीक जाकर शामिल पत्रावली किये गया।

आदेश

वादी का वाद राजीनामा स्वीकार किया जाकर वादी का वाद डिक्री किया जाना किया जाकर आदेश दिये जाते है कि माल ग्राम मोहनपुरा पटवार हल्का खजूरना तहसील कनुवास जिला कोटा राजस्थान के खसरा न 110 की रकबा 0.23 है आराजी में दर्ज उपकृषक नारायण हटाये जाने के आदेश दिये जाते है एवं कृषक खातेदार घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

राजेश डागा (आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी कनवास
जिला कोटा

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा

Scanned with ACE Scanner

अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास मुकाम कनवास

न्यायालय ब इजलास श्री राजेश डागाR.A.S. उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा (राज.)

प्रकरण संख्या:–84/22 निर्णय दिनांक 11.02.2023

बउनवान

1 रामकल्याण दत्तक पुत्र घासीलाल आयु 42 वर्ष जाति माली निवासी ग्राम उरना तहसील कनवास जिला कोटा राज0

वादी

बनाम

1 नारायण पुत्र खेमा जाति गुर्जर निवासी खोद्या खेडी तहसील कनवास जिला कोटा राज0 मृतक जरिये कायम मुकाम

1/1 दांखा बाई पुत्री नारायण पत्नी देवलाल जाति गुर्जर निवासी मकान नं0 1225 मोहन किराना स्टोर की गली किशोरपुरा कोटा जिला कोटा राज0।

2 राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, कनवास जिला कोटा राज0।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

वादी की ओर से एडवोकेट श्री विनोद गौत्तम

प्रतिवादी की ओर से तहसीलदार कनवास।

वाद अन्तर्गत धारा 88,89, आर0टी0एक्ट बाबत् इन्द्राज

मुकदमा नं. **84/22** सन **2022** तारीख फैसला **11.02.2023 न्यायालय बइजलास राजेश डागा उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा** यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू **उपखण्ड अधिकारी कनवास** बहाजरी **श्री विनोद गोतम एडवोकेट वादी** मिनजानिब मुदई व **प्रतिवादी नं0 1 के विरूद्व एक तरफा व प्रतिवादी नं. 2 राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास स्वयं** मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है वादी का वाद राजीनामा स्वीकार किया जाकर वादी का वाद डिकी किया जाना किया जाकर आदेश दिये जाते है कि माल ग्राम मोहनपुरा पटवार हल्का खजूरना तहसील कनवास जिला कोटा राजस्थान के खसरा न 110 की रकबा 0.23 है0 आराजी में दर्ज उपकृषक नारायण हटाये जाने के आदेश दिये जाते है एवं कृषक खातेदार घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। **उपरोक्त विभाजन अनुसार अन्तिमडिक्री जारी की जाती है।**नीज ... **X**...मुबलिग ....**X** ...बाबत ...**X** ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ...**X** ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... **X**..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **11.02.2023** माह **फरवरी 2023** को जारी की गई।

मोहर ....

राजेश डागा R.A.S.

उपखण्ड अधिकारी

कनवास

Scanned with ACE Scanner

मुदई		रूपया	पै.	मुदायलाह		रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	''''	---------NIL---------		स्टाम्प वकालतनामा	''''	---------NIL---------	
स्टाम्प वकालतनामा	''''			स्टाम्प अर्जी	''''		
स्टाम्प वजह सबूत	''''			महनताना वकील	''''		
महनताना वकील	''''			खर्चा गवाहान	''''		
खर्चा गवाहान	''''			फीस कमिश्नर	''''		
फीस कमिश्नर	''''			बाबत इजराय हुकमनामा	''''		
बाबत इजराय हुकमनामा	''''			मुतफर्रिक	''''		
मुतफर्रिक	''''			मीजान	''''		
मीजान	''''						

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

राजेश डागा **R.A.S.**
उपखण्ड अधिकारी
कनवास

Scanned with ACE Scanner